

क्या कृषि आय पर कर लगाया जाना चाहिये?

भारत के संदर्भ में कृषि आय को कराधान ढाँचे के अंतर्गत लाए जाने का वचिार वर्षों से वविाद का वषिय बना हुआ है। यदयपि स्वतंत्रता पूरव काल से ही वभिन्नि पक्षकारों यथा- सरकार, अरथशास्त्री, कृषि विज्जिजानी एवं स्वयं कृषकों के मध्य इस वषिय पर चर्चा होती रही है, लेकनि अब तक इस पर कोई एक राय नहीं बन पाई है।

वर्तमानसंदर्भ में यह वषिय पुनः तब चर्चा में आया, जब मई की शुरुआत में संसद का एक सत्र, जसिमें ववित्त वधियक पर चर्चा हो रही थी, में दो सांसदों (त्रणिमूल कांग्रेस एवं बीजू जनता दल) के द्वारा प्रश्न पूछे गए, जनिमें यह कहा गया था कि किरों की कमाई करने वाले बड़े कसानों अथवा ऐसी कंपनियों जो कृषि कार्य में ही संलग्न हैं, उनकी आय पर कर क्यों नहीं लगाए जाते। इसके अतरिकित, उन्होंने यह भी कहा कि 50 एकड़ से अधिक भूमि वाले कसान व कंपनीयों, जनिकी कृषि आय 1 करोड़ से ज़्यादा की है, उन पर आयकर लगाया जाए।

ऐतहासिक संदर्भ

- स्वतंत्रतापूरव काल में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने यह कहा था कि वी कृषि आय पर आयकर लगाने के पक्ष में हैं। इसके पीछे उनका मूल तर्क यह था कि ये कर वयकता की क्षमता व आय के सापेक्ष आरोपति कयि जाएंगे।
- 1953-54 में 'द टैक्सेशन इंकवाइरी कमीशन' ने कर ढाँचे के लयि महत्त्वपूरण अनुशंसाएँ करते हुए कृषि आय पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा था।
- 1972 में गठित के. एन. राज समिति की रिपोर्ट जसिमें इस वषिय के वभिन्नि पहलुओं पर वचिार कयि गए थे। इस समिति ने बड़े कृषकों पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा था, परन्तु इस प्रस्ताव का कभी क्रयिान्वयन नहीं कयि गया।
- 2002 की केलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 95% कसान कर की सीमा के नीचे हैं।

पक्ष में वचिार

- देश में कसान स्वतंत्रतापूरव काल से ही कर देता आया है एवं वर्तमान में भी बागवानी, हॉर्टकिलचर जैसी गतविधियों पर बहुत सी राज्य सरकारें कर लगती हैं क्योंकि उनकी समझ में ये वाणज्यिक कृषि हैं।
- दूसरा, यह कि कृषि राज्य सूची के वषियों में शामिल हैं तथा कई राज्य कृषि आय को कर के अंतर्गत लाने के पक्षधर हैं। अंततः इससे राज्यों के कर राजस्व में वृद्धि होगी जो उनकी ववित्तीय क्षमता में वृद्धि करेगा।
- तीसरा, सर्वाधिक वरिधाभासी तत्त्व बड़े उद्योग समूहों व बड़े कसानों के वषिय में है जो न तो स्वयं कृषि कार्य में प्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं बल्कि अपनी पूंजी का नविश कृषि में करते हैं एवं लाभ के भोगी होते हैं। ज़मीन पर कृषि कार्य मज़दूर व छोटे कसान करते हैं जनिके पास लाभ का एक छोटा हस्सिा ही जाता है। इस दशा में बड़े कसानों व इन उद्योग समूहों को कर ढाँचे के अंतर्गत लाना क्यों उचित नहीं होगा?
- इसके अतरिकित, आय कर की तरह यहाँ भी वभिन्नि कर स्लैब की वयवस्था की जा सकती है। अतः जो तय सीमा से नीचे आय सृजति करेंगे उन पर कर नहीं लगेगा।
- मूलतः मुख्य समस्या राजनीतिक नेतृत्व की इच्छाशक्ति की है जो कृषि आय को कर के अंतर्गत लाने से डरते हैं क्योंकि उनके लयि ये कदम देश की एक बड़ी कसान आबादी को नाराज़ करने वाला कदम होगा। अतः अपने वोट बैंक को बचाने के लयि शायद ही कोई सरकार इस वषिय पर कोई उपयुक्त कदम उठाए, जबकि स्वतंत्रता पश्चात् गठित लगभग सभी समितियों एवं रिपोर्टों आदि का मानना है कि कृषि आय पर कर लगाया जाना चाहिये।

वपिक्ष में वचिार

- स्वतंत्रता पश्चात काल में नज़र डालें तो हम पाएंगे कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का प्रतशित लगातार तीव्रता से घट रहा है, तथा 1991 से 2016 तक के काल में कृषि का हस्सिा 32% से घटकर 15% तक पहुँच गया, जबकि इस काल में कृषि पर आश्रति आबादी का हस्सिा 49.7% तक बना रहा। अतः स्पष्ट है कि कृषि पर बोझ अधिक है और ऐसे में अतरिकित कर आरोपति करना स्थिति को और खराब ही करेगा।
- पर्यावरणीय व तकनीकी अवरोध कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन पर बहुआयामी तरीके से प्रभाव डालते हैं। जहाँ एक ओर देश में कृषि उत्पादकता अपने न्यूनतम स्तर पर ही बनी हुई है, वही कृषकों की आय भी न्यूनतम स्तर पर है। ऐसे में कर का बोझ ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण को वशिषकर प्रभावति करेगा।
- इसके अतरिकित, ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सुवधाओं के मूल्य में भारी वृद्धि हो चुकी है जो उनकी आय क्षमता को वशिषकर प्रभावति करता है। 2012-13 के राष्ट्रीय प्रतदिर्श सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार, एक कृषि परिवार की औसत आयु सरिफ 6491 रुपए प्रतमिाह है। अधिकतर कसान कृषि को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की तरफ पलायन कर रहे हैं।
- अतः ग्रामीण कृषकों की दशा अत्यंत दयनीय है। युवा वर्ग भी कृषि से वमिुख हो रहा है और जो कृषि से जुड़े हुए हैं वो भी संकट में हैं। अतः ऐसी दशा में कृषि आय पर कर लगाना कहीं से भी युक्तयुक्त फंसला नहीं होगा।

वास्तविक दशा

- कृषि आय पर कर आरोपित करने के विचार को मूलतः दो आधारों पर गलत ठहराया जाता है-
- प्रथम, भारत में कृषकों का बहुसंख्यक हिस्सा, लगभग 60% छोटे किसानों का है, अर्थात् इनके पास छोटे जोत, बिक्री योग्य कम कृषि अधिशेष तथा छोटी आय होती है।
- दूसरा, इनके पास जलवायविक आपदाओं की दशा में किसी भी प्रकार के बीमा का अभाव होता है।
- इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादों के बाजार मूल्य में होने वाला उतार-चढ़ाव इनकी समस्या को और मुश्किल बनाता है। परिणामस्वरूप कृषकों की आय में भारी परिवर्तन देखा जाता है। ऐसी स्थिति में इन पर कर आरोपित करना इनके लिये एक अलग समस्या होगी।
- परन्तु दूसरा पक्ष यह है कि यदि हम वभिदकारी सब्सिडी को स्वीकारते हैं तो इसी तरह के कर ढाँचे को क्यों नहीं स्वीकार सकते? अर्थात् जैसे एक आय स्तर के बाद किसानों को सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिये, उसी प्रकार एक आय स्तर के पश्चात ही कर आरोपित किया जा सकता है। इस प्रकार, बड़े किसानों तथा उद्योग समूहों को कर के अंतर्गत लाना युक्तियुक्त हो सकता है। अंततः ये फैसला कर राजस्व में वृद्धि ही करेगा।

कृषकों की क्षमता बढ़ाने के संभावित उपाय

यद्यपि देश में बड़े किसानों व उद्योग जगत का कृषि कार्य में हिस्सा बढ़ा है, लेकिन आज भी देश के बहुसंख्यक किसानों की आय भूमि के आकार से नहीं बल्कि मानसून और बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है। इस दशा में कृषि को कराधान ढाँचे के अंतर्गत लाने से पहले हमें भारतीय कृषि एवं कृषक समाज दोनों को विशेष सुविधाओं से युक्त करना पड़ेगा। इसके लिये हमें कुछ विशेष उपाय करने होंगे, जैसे-

- कृषक आयोग के अनुसार, एम.एस.पी. (MSP) को औसत कृषि उत्पादकता से 50% देने की बात की गई थी। इस प्रस्ताव को लागू कर किसानों को हम आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं।
- आयकर के ढाँचे में लाने से पहले कृषकों के लिये पी.डी.एस. सिस्टम (PDS System) तथा वसूली मूल्य में सुधार कर हम उनकी क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं।
- तकनीकी बाधाओं व पर्यावरणीय आपदाओं से निपटने के लिये बीमा व बैंकिंग सुविधाओं को दुरुस्त करने के साथ वित्तीय समावेशन इस दशा में उल्लेखनीय कदम हो सकता है, विशेषकर वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र में इन सुविधाओं को लागू करना अत्यंत आवश्यक है।

नष्कर्ष

अतः कृषि आय पर कर आरोपित करने का विचार एकपक्षीय न होकर बल्कि एक बहुपक्षीय विषय है, जिसे सिर्फ बड़े किसानों व कृषि कार्य में संलग्न उद्योग समूहों को ध्यान में रखकर लागू नहीं करना चाहिये, बल्कि ऐसे किसी भी फैसले को लागू करने से पहले देश की ग्रामीण कृषक आबादी को ध्यान में रखना आवश्यक होगा।